रेवा शक्ति अभियान

"रेवा शक्ति" अभियान अंतर्गत प्रथम चरण में ऐंसे पालक जिनकी सिर्फ पुत्रियां संतान हैं (अधिकतम दो) तथा रेवा मित्रों का ऑनलाईन पोर्टल https://rewashakti.mponline.gov.in पर पंजीयन प्रारंभ

अशोकनगर- बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजनांतर्गत जिले में घटते लिंगानुपात में वृद्वि हेतु सिर्फ एक एवं दो बालिका वाले परिवारों को प्रशासन एवं जन सहयोग से विशेष लाभ प्रदान करने की मंशा से जिला प्रशासन की विशेष पहल पर जिला अशोकनगर में "रेवा शक्ति" अभियान हेतु विशेष पोर्टल **https://rewashakti.mponline.gov.in/** का निर्माण कराया गया है, उक्त पोर्टल के माध्यम से प्रथम चरण में जिले के ऐसे पालक जिनकी सिर्फ पुत्रियां संतान हैं (अधिकतम दो) अपना पंजीयन कर सकते हैं, तथा अपने पंजीकरण का स्टेटस चैक कर सकते हैं। ऑनलाईन पंजीयन का जिला प्रशासन द्वारा परीक्षण किया जावेगा, परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर उन्हें "कीर्ति कार्ड" जारी किया जावेगा। कींति कार्ड धारकों को चिन्हित निजी सेवा प्रदाताओं के प्रतिष्ठानों पर विशेष लाभ प्रदान किया जावेगा। तथा शासकीय कार्यालयों में भी आवेदन प्रस्तुत करने में तथा आवेदनों के निराकरण में प्राथमिकता दी जावेगी।

जिले के ऐसे निजी सेवा प्रदाता (अस्पताल, मेडीकल, किराना, स्कूल, कोचिंग सेंटर, बस ऑपरेटर, व अन्य समस्त सेवा प्रदाता) जो कीर्ति कार्ड धारकों को अपने प्रतिष्ठान पर विशेष लाभ प्रदान करना चाहते हैं, वह भी "रेवा मित्र" के रूप में उक्त पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन कर सकते हैं। ऑनलाईन पंजीयन का जिला प्रशासन द्वारा परीक्षण किया जावेगा, परीक्षण उपरांत उन्हें "रेवा मित्र" कार्ड जारी किया जावेगा। "रेवा मित्र" कार्ड धारकों को सभी शासकीय कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करने में तथा आवेदनों के निराकरण में प्राथमिकता दी जावेगी।

रेवा शक्ति अभियान आधिकारिक शुभारंभ जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र किया जावेगा। उक्त अभियान का उद्देश्य बेटियों के जन्म को एक उपलब्धि/उत्सव के रूप में मनाना, समाज में बेटियों के पालकों के प्रति सम्मान का भाव एवं बेटियों के प्रति सकारात्मक विचार हेतु समुदाय को प्रेरित करना है।

अभियान के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग कलेक्टर कार्यालय अशोकनगर में संपर्क कर सकते हैं।

किर्ति कार्ड पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

1- पिता का फोटो

2- माता का फोटो

3- प्रथम / द्‌वितीय बालिका का फोटो

4- परिवार समग्र का PDF दस्तावेज

रेवा मित्र पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

1- फर्म/प्रतिष्ठान के मालिक का फोटो

2- संबंधित प्रतिष्ठान के दस्तावेज